IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजस्थान में असंतोष : मुख्यतः बीकानेर रियासत के संदर्भ में

मरियम बानो
रजिस्ट्रेशन नं. 24618062
पी.एच.डी. शोधार्थी
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय,
झुन्झूनुं (राजस्थान)

सारांश

सन् 1905 ई में बंग–भंग ने समस्त देश में अंग्रेज विरोधी लहर को जन्म दिया। इस लहर से राजपूताना की बीकानेर रियासत कैसे अनछुई रह सकती थी। अंग्रेजी सरकार ने इस समय अंग्रेज विरोधी भावना को दबाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए। बीकानेर की जनता पर दमन, उत्पीड़न तथा शोषण का बोलबाला रहा। सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व धीरे–धीरे खत्म किया जा रहा था। अत्यधिक कर लगाए गए जो नागरिक स्वतंत्रता के सर्वथा विपरीत थे। सार्वजनिक जीवन न के बराबर था। किसानों पर अत्यन्त अत्याचार किए गए। बीकानेर के लोक नेताओं ने राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों व समकालीन साहित्य के सहयोग ने जन आंदोलन को दिशा प्रदान की। इन्हीं लोगों ने राज्य में शासन की छत्रछाया में सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारों तथा उत्तरदायी शासन की माँग करने में उत्तरदायी भूमिका निभाई। जिसके दूरगामी व सुखद परिणाम निकले।

मूल शब्द : जन आंदोलन, किसान, रियासत, अंग्रेज, अत्याचार, जागरूकता।

स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दुस्तान विभिन्न देशी रियासतों में बंटा था, लेकिन मुख्य रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से छः बड़ी रियासतें इस समय प्रभाव में थी।[1] इन्हीं में से थी बीकानेर रियासत। बीकानेर राजपूताने की दूसरी तथा भारत की छठी सबसे बड़ी रियासत थी। बड़ी रियासत होने के कारण राजस्थान में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव बीकानेर रियासत को छुए बिना न रह सका।

राजस्थान में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है – राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना हेतु आंदोलन तथा प्रजामण्डल की स्थापना और उत्तरदायी शासन की माँग। उग्रवादी आंदोलनों को राजस्थान में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली अतः स्थानीय नेताओं को सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए तत्पर होना पड़ा। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश की राजनैतिक गतिविधियों पर महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ा। अतः राजस्थान के जननेता भी गांधी जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अतः जन आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया।[2] राजस्थान में जन जागृति का श्रेय आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी जी की मान्यता थी कि एक अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी एक अव्यवस्थित देशी शासन की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक होता है।[3]

बीकानेर में असंतोष :

बीकानेर में राजनैतिक जन चेतना सन् 1907 में चूरू से आरम्भ हुई, जहाँ हितकारिणी सभा की स्थापना सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरम्भ हुई थी। यह सभा गुप्त रूप से राजनैतिक प्रचार भी करती थी। इस सभा के अठारह उद्देश्यों में विद्या प्रचार, पीड़ितों की सेवा व सामाजिक सुधार प्रमुख थे।[4] सन् 1912 को सर्वहितकारिणी सभा ने अपना स्वयं का एक पुस्तकालय तथा वाचनालय और हिन्दी भाषा के दो स्कूलों सहित एक कन्या पाठशाला की स्थापना की। यह संस्था अपने प्रारम्भ काल से ही राज्य अधिकारियों की वक्र दृष्टि में आ गई थी। सन् 1920 में बीकानेर में सद्विद्या प्रचारिणी भी वक्र दृष्टि में आ गई थी।[5]

सन् 1920 में बीकानेर में सद्विद्या प्रचारिणी सभा रियासत की घूसखोरी व अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने को बनी। इसके प्रदर्शित दो नाटक 'सत्य विजय' तथा 'धर्म विजय' प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत चर्चित रहे। राज्य सरकारा इन नाटकों के मंचन से चौकन्नी हो गई थी। इन नाटकों में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के साथ महात्मा गांधी की जय के नारे भी लगा दिए जाते थे। राज्य सरकार के धर्म विजय नाटक को राजनीति से प्रेरित मानकर भविष्य में प्रत्येक नाटक के लिए यह आवश्यक कर दिया कि उसकी रिहर्सल उच्च पुलिस अधिकारियों को दिखाने के बाद ही उसका मंचन किया जाए।[6] समितियों के पंजीयन का कानून केवल अनाथालय, विधवा आश्रम, लूले लंगड़े, कला व विज्ञान हेतु संस्थाओं के ही पंजीयन की अनुमति देता था। किसान, मजदूर तथा नागरिक अधिकारों का दमन इतना हो चुका था कि कई प्रमुख व्यक्ति दबी जुबान से कहते थे कि – वह एक जेल में रहते हैं।

गंगनहर क्षेत्र का कृषक असंतोष :

1923 ई. में गंगनहर क्षेत्र की जमीन को बेचना प्रारम्भ किया गया। यद्यपि इस भूमि में सिंचाई की सुविधाएं सन् 1927–28 में मिलनी प्रारम्भ हुई किन्तु गंगनहर से पर्याप्त पानी न होने के कारण किसानों को खेती के लिए पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। इसके बावजूद राज्य सरकार ऐसे किसानों जिन्होंने जमीन के मूल्य की किश्तों को देने में देर कर दी थी, उन पर ब्याज की दर अत्यधिक बढ़ाकर वसूल करने लगी। ये दोनों ही बातें इस क्षेत्र के किसानों के असंतोष का कारण थी।[7] किसानों ने राज्य सरकार का विरोध करते हुए 16 अप्रैल 1929 में जमींदार ऐसोसियेशन स्थापित कर ली। इस ऐसोसियेशन का पहला अध्यक्ष सरदार दरबारा सिंह को बनाया गया।[8] इस ऐसोसियेशन द्वारा राज्य सरकार के जुल्मों के विरुद्ध अनेक कदम उठाए गए। गंगनहर क्षेत्र के इस किसान आंदोलन की बीकानेर राज्य में जन जागरण फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। सन् 1930 के बाद गंगनहर क्षेत्र की जमींदार ऐसोसियेशन के अनेक सदस्य स्वतंत्रता प्राप्ति तक राज्य जन आंदोलन में सक्रिय रहे।

सन् 1930 ई. का चूरू में झण्डा काण्ड :

सन् 1929 की 31 दिसम्बर की रात को 12 बजे लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। अधिवेशन में यह भी निश्चय किया गया कि दिनांक 26 जनवरी, 1930 को देशभर में स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। इस अधिवेशन में गांधी जी ने संदेश देते हुए कहा था कि जब तब हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस आह्वान पर बीकानेर राज्य में भी हलचल होना स्वाभाविक था। 26 जनवरी, 1930 को चूरू नगर में महंत गणपतिदास, वैद्य भालचंद, यति रावतमल तथा सेठ

घनश्यामदास पोदार एवं उसके कुछ अन्य साथियों ने धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराने का निश्चय किया।[9] कींकर के कांटों से सीकर तिरंगा झण्डा तैयार किया गया और एक सरकण्डे में फंसाकर राष्ट्रीय गान गाते हुए धर्मस्तूप के ऊपर फहरा दिया गया। इस झण्डारोहण से सारे राज्य में तहलका मच गया। महंत गणपतिदास के बड़े मंदिर को जब्त कर लिया तथा श्री चन्दनमल बहड़, वैद्य शांत शर्मा और वैद्य भालचन्द को म्यूनिसपैलिटी की सदस्यता से पृथक कर दिया गया तथा उन पर मेम्बर न हो सकने की पाबंदी लगा दी गई।[10] इससे चूरू में एक बार आतंक का माहौल हो गया परन्तु कुछ दिनों बाद ही जब राज्य के प्रधानमंत्री सर मनुभाई मेहता चूरू में इन्दमणि पार्क का शिलान्यास करने आए तो जनता के निवेदन पर मंदिर की जब्ती रद्द कर दी तथा इन तीनों पर फिर कभी मेम्बर न हो सकने की जो पाबंदी लगाई उसे भी हटा लिया गया।

अप्रैल, 1930 ई. में जब ब्यावर में राजपूताना तथा मध्य भारत के लोगों द्वारा ब्यावर जाकर नमक कानून तोड़ने की जानकारी मिली तो बीकानेर में नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि राज्य में शोरा बनाने वाले ठेकेदारों को भी नमक संग्रह करने की मनाही कर दी। नमक के लाने व ले जाने पर भी कड़ी निगरानी रख दी गई।[11] राज्य की जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी धीरे–धीरे बढ़ रही थी। राज्य के राजगढ़ कस्बे में स्टेशन से शहर के अन्दर की एक सड़क निर्माण के लिए म्यूनिसिपल बोर्ड ने अन्य लोगों के अतिरिक्त कस्बे के मोची, चमार, खाती, सुनार, लुहार, पनवाड़ी व कसाई जाति के लोगों से विशेष शुल्क वसूल किया जाता था। जनता ने इस शुल्क वसूली का विरोध किया और राज्य के दीवान से हस्तक्षेप की अपील की। सन् 1930 ई. के प्रारम्भ में जब महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय आंदोलन के प्रचारार्थ एक हजार से दस हजार तक के ग्रांटिंग नोट छापे गए, इन पर महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार पटेल के चित्र छापे गए थे। भारत सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसके बावजूद बीकानेर में यह नोट दो–दो आने में दुकानों पर बिक रहे थे।[12]

बीकानेर षड्यंत्र केस :

बीकानेर राज्य में राजद्रोह और षड्यंत्र के इस मुकदमे ने राज्य व राज्य से बाहर की जनता को राजनैतिक दृष्टि से इस प्रकार झकझोर कर रख दिया कि जनता न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होती दिखलाई देती है बल्कि देश के नेता जो भारतीय राज्यों की राजनीति से अपने आपको अलग किए हुए थे और राज्य के शासक गंगासिंह के प्रति आदर भाव रखते थे वे भी राज्य के शासक गंगासिंह की दोगली नीति को समझने के लिए मजबूर हुए। इस मुकदमे की पृष्ठभूमि में निम्न घटनाक्रम था – सन् 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के वार्षिक अधिवेशन में जोधपुर के जयनारायण व्यास को उनकी राजपूताना शाखा का मंत्री नियुक्त किया गया। राजस्थान के अनेक राज्यों में परिषद के कुछ सदस्य बनाए गए थे। बीकानेर राज्य में जयनारायण व्यास का सहयोग करने वालों में स्वामी गोपालदास, भादरा के खूबराम सर्राफ व सत्यनारायण सर्राफ आदि महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता थे जिन्होंने बड़े उत्साह से इस काम में उनका हाथ बंटाया था।[13]

सन् 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें राज्य के शासक गंगासिंह भी देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन में देशी राज्य लोक परिषद के दृष्टिकोण को सम्मेलन में सदस्यों के सम्मुख रखने के उद्देश्य से अपना एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निश्चय किया। जन्मभूमि अखबार के सम्पादक अमृतलाल, सौराष्ट्र के बेरिस्टर चूड़गर और पूना के प्रोफेसर अभयंकर उस शिष्टमण्डल में शामिल किए गए थे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में बांटने के लिए भोपाल और बीकानेर राज्य की राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में दो पैम्पलेट तैयार किए।[14] बीकानेर राज्य से सम्बन्धित पैम्पलेट को साइक्लोस्टाइल करके सम्मेलन के सदस्यों में बांट दिया गया। गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड सेंकी

ने वह पैम्पलेट ठीक उस समय गंगासिंह जी के सम्मुख प्रस्तुत किया जब वह जोशीला भाषण दे रहे थे।[15] लॉर्ड सेंकी ने पैम्पलेट गंगासिंह जी को देने से पूर्व यह भी लिख दिया था कि बीकानेर शासक को इन बातों का जवाब देना चाहिए। गंगासिंह जी ने मन ही मन इस पैम्पलेट को तैयार करने में सहयोग देने वाले बीकानेर राज्य के कार्यकर्ताओं को दण्ड देने का निश्चय कर लिया था। इस समय बीकानेर राज्य में पंजाब से आने वाले गेहूं वा का बढ़ा दिया गया था। इसके विरोध के फलस्वरूप बीकानेर राज्य में आक्रोश फैलना स्वाभाविक था क्योंकि यह उनकी रोटी पर भारी टैक्स लगा था। दिनांक 11.01. 1932 को बीकानेर नगर में कर वृद्धि को लेकर भारी हलचल हुई और स्थान–स्थान पर लोग इकट्ठे होकर बात करने लगे कि जोधपुर की भांति बीकानेर राज्य में भी करों की वृद्धि को लेकर हड़ताल की जाए। इस बढ़े टैक्स के विरोधस्वरूप चूरू में 11 जनवरी, 1932 को सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया।[16] इस सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें शासन बीकानेर से कर माफ करने और उनसे इस सम्बन्ध में एक डेपुटेशन से मिलने की आज्ञा देने की प्रार्थना की गई। इस प्रस्ताव की प्रति गंगासिंह जी की सेवा में प्रेषित की गई। तार पाकर गंगासिंह जी का गुस्सा अत्यधिक बढ़ गया। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने स्वामी गोपालदास, महंत गणपतिदास, वैद्य शांत शर्मा व मास्टर ज्ञान चंद को गिरफ्तार कर चूरू से बीकानेर भेज दिया। इसके बाद 13 जनवरी को खूबराम सर्राफ को भादरा में, सत्यनारायण सर्राफ को रतनगढ़ में व बद्रीप्रसाद तथा लक्ष्मीचंद सुराणा को चूरू में गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं को गिरफ्तार करके बीकानेर लाया गया परन्तु उनको यहाँ से कहाँ गायब करके रखा गया इसका किसी को पता नहीं लगने दिया गया। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। बीकानेर में सभी बंदियों को अलग–अलग स्थानों पर रखा गया और उन्हें आपस में एक–दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगने दिया गया।

इस प्रकार पुलिस तीन महीनों तक अभियुक्तों को असहनीय कष्ट देती रही और मुकदमे की तैयारी सभी साधनों से करती रही। जबकि अभियुक्तों को किसी बाहरी वकील की सहायता नहीं लेने दी गई और बीकानेर रियासत के वकीलों में से किसी ने भी इन मुल्जिमों की तरफ से खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई।[17] 13 अप्रैल, 1932 को मुकदमा बीकानेर की सैन्ट्रल जेल के रूम में ही चलाया गया क्योंकि प्रशासन मुकदमे की पब्लिसिटी नहीं होने देना चाहता था। मुक्ताप्रसाद दबंग वकील थे। इन्होंने कुछ मुल्जिमान की तरफ से पैरवी करने का बीड़ा उठाया। राज्य सरकार इनको रौब दिखाकर दबाना चाहती थी। परन्तु इन्होंने दबना नहीं सीखा था। बीकानेर षड्यंत्र केस भारतीय रियासतों में अपनी तरह का पहला केस था जिसने विस्तृत रूप से सारे भारत का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश भारत में इस केस को असाधारण पब्लिसिटी मिली। जिससे एक प्रबल लोकमत तैयार हुआ। 4 अक्टूबर, 1936 को बीकानेर में प्रजामण्डल की स्थापना की गई। सरकार इसके अस्तित्व को सहन को तैयार नहीं थी। फिर भी बीकानेर की जनता उत्साहित व प्रेरित थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना ने नौजवानों पर असाधारण प्रभाव डाला। दिसम्बर, 1942 में झण्डा सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और हजारों लोगों ने निर्भीक होकर जुलूस में भाग लिया जिससे सारे शहर का वातावरण बदल गया।[18] 1944 ई. में बीकानेर में अनाज निकासी के प्रश्न को लेकर आंदोलन छिड़ा जिसका जन साधारण पर प्रभाव पड़ा। 1945 ई. में दूधवाखारा किसान आंदोलन में बीकानेर के लोक नेताओं ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हुए बीकानेर की जनता में चेतना, आत्मविश्वास और स्वाभीमान के संस्कारों को झकझोर कर जगा दिया।

इस प्रकार समस्त भारत के समान बीकानेर में भी जनता में अंग्रेजी शासन व राजकीय शासन के प्रति व्यापक असंतोष व्याप्त था जो कि जन आंदोलन का कारण बना। समाचार पत्रों, सभाओं, संस्थाओं, नाटकों व भाषणों आदि कार्यक्रमों द्वारा जन आंदोलन व जनजागृति को सक्रिय बनाया गया।

संदर्भ सूची :

1. भारतीय रियासतों में स्वतंत्रता से पूर्व निम्नांकित रियासतें क्रमशः क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी थीं – 1. जम्मू कश्मीर, 2. हैदराबाद, 3. जोधपुर,
   4. मैसूर, 5. ग्वालियर तथा 6. बीकानेर।
2. मेहर, गहलोत : राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, पृ. 117
3. मुद्गल, चेतना : बीकानेर में जन आंदोलन, पृ. 27
4. हजूर डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् 1914, नं. बी–4, पृ. 35–39, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
5. सहादत गवाहान बयान तहरीरी पेशकरदा मुलजिमान, दिनांक 24.11.1933, पृ. 1644/1–14, मिसल कागजात वजह सबूत, स्वामी गोपालदास, नं. क–11, रा.रा.अ.बीकानेर
6. यह आदेश गंगासिंह के निजी सचिव के दिनांक 20.4.1923 के पत्र द्वारा किया गया, महकमा खास, बीकानेर, 1926–32, नं. सी–32, रा.रा.अ.बीकानेर
7. होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), जमींदार ऐसोसियेशन, गंगानगर, सन् 1929–37, नं. सी–10, पृ. 4–6, रा.रा.अ. बीकानेर
8. होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1929 से 1937, नं. सी–10, पृ. 1–2
9. रेवेन्यू कमिश्नर सदर, बीकानेर सन् 1929–30, नं. 47, पृ. 3, रा.रा.अ.बीकानेर
10. आचार्य, दाउदयाल के राजनैतिक संस्मरण, टेप, रा.रा.अ.बीकानेर
11. तरुण राजस्थान, दिनांक 28.4.1930, बीकानेर वर्नाकूलर प्रेस कटिंग, फाइल 1930, नं. 14
12. बीकानेर में चौतीने कुएं के पास मैसर्स सुखलाल रामलाल की फैन्सी गुड्स की दुकान पर पुलिस ने इस प्रकार के नोट पकड़े थे। होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1932, नं. सी–21, पृ. 1–16
13. इसकी पुष्टि सत्यनारायण सर्राफ और स्वामी गोपालदास की पुलिस ने जो हिस्ट्रीशीट तैयार की थी, उससे भी होती है।
14. होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1931, नं. 19, पृ. 1–5; होम डिपार्टमेंट, सन् 1932, नं. सी–13, पृ. 2–5, रा. रा.अ.बीकानेर
15. होम डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् 1932, नं. सी–13, पृ. 2–5
16. होम डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् 1932, नं. सी–3, पृ. 3
17. आचार्य दाउदयाल के राजनैतिक संस्मरण, टेप, रा.रा.अ.बीकानेर
18. होम डिपार्टमेंट, बीकानेर (गोपनीय), सन् 1943, नं. 4, पृ. 1–8